दिनांक 19 फरवरी, 2020 को Jharkhand University of Technology, Namkum, Ranchi द्वारा "Constitution of India" विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में माननीया राज्यपाल जी के अभिभाषण के मुख्य बिन्दुः-

- मुझे Jharkhand University of Technology द्वारा "Constitution of India" विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में आप सभी के मध्य सम्मिलित होकर अपार प्रसन्नता हो रही है।
- भारत का संविधान उसकी सभ्यता, संस्कृति एवं शासन-व्यवस्था का दर्पण है। यह जन-जन की आशाओं एवं आकांक्षाओं का एक पवित्र दस्तावेज (Holy Document) है। हमारा संविधान अपने आप में कई विशेषताओं को समेटे हुए हैं। इसमें विश्व की लगभग सभी संविधान की विशेषताएं समाहित हैं।
- भारत के संविधान को समझना, उसके अनुरूप चलना एवं उसका पालन करना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है।
- भारत का सर्वोच्च विधान संविधान है। यह हमारे कानून का संग्रहण है। इसे आम बोल-चाल की भाषा में 'कानून की किताब' भी कहते हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे देश में लोकतंत्रात्मक गणराज स्थापित है। इसकी सम्प्रभुता, और धर्म-निरपेक्षता इसे अन्य से अलग करती है।
- भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ और भारत इसी दिन से गणतंत्र बना। यह

गणतंत्र भारत के संविधान द्वारा शासित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार किया गया।

- डॉ० भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान का निर्माण अंतिम रूप से किया। 26 नवम्बर, 1949 को संविधान अंगिकृत, अधिनिमित हुआ। 26 जनवरी, 1950 से संविधान लागू हुआ।
- मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 08 अनुसूचियाँ थी। इसके निर्माण के बाद, समय की प्रासंगिकता को देखते हुए इसमें अनेक संशोधन हुए। वर्तमान में इसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से महत्वपूर्ण तत्व भी लिये गये है।
- प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारतवर्ष का हर नागरिक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। यह गणतंत्र संसदीय प्रणाली की सरकार एक समाजवादी लोकतंत्रिक गणराज्य के साथ एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य है।
- भारतीय संविधान का जो स्वरुप हमें दिखाई देता है, वो केवल एक व्यक्ति का नहीं, वरन् कई लोगों के अथक प्रयास का नतीजा है। बेशक बाबासाहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता और जनक कहा जाता है। लेकिन उनके अलावा भी बहुत लोगों ने उल्लेखनीय काम किये हैं। इस संबंध में यह कह सकते हैं कि इन लोगों के बिना संविधान कार्य का उल्लेख अधुरा है।

- यह संविधान हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग रखता है एवं हमारे कर्तव्य–बोध को भी समझाता है। हमें अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में कई पारिवारिक, सामाजिक एवं अन्य समस्याएं आती है, लेकिन हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए एवं देश के संविधान के अनुरूप चलना चाहिए।
- हमारे देश में अथवा राज्य में जो भी समस्याएं हों, पर इनका समाधान संविधान के नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। संविधान से परे कोई नहीं है। हम सभी देशवासियों के लिए संविधान गीता, कुरान और बाईबल जैसी अन्य धर्मग्रन्थों से कतई कम नहीं है। सभी को अपने संविधान का सम्मान करना चाहिये। आवश्यकता अनुसार, उनमें संविधान में निहित प्रावधान के तहत बदलाव भी किये जाते हैं। ऐसे संवैधानिक बदलाव को भी स्वीकार करना चाहिये।
- एक Technical University होने के बावजूद इस कार्यशाला के आयोजन के चयन हेतु मैं सभी कर्मियों को बधाई देना चाहूँगी। सभी को अपने संविधान की जानकारी होना जरूरी है और उसका सम्मान करना चाहिये।

जय हिन्द! जय झारखण्ड!